तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 52/प्रा॰पत्र/25, बहादुरमल / हितेष कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/9/25	वकुलाप उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6,7,9,10 के वकील श्री हेमन्त योगी द्वारा दिनांक 27/1/25 को अप्रार्थी सं. 8 तीजूबाई एवं अप्रार्थी सं. 11 दाखाबाई के फौत हो जाने की सूचना दीगई। इसके बाद 8 तारीख पेशियाँ निपट किये जाने बावजूद भी वकील प्रार्थी द्वारा 8 माह की अवधि में मृतक अप्रार्थी सं. 8 व 11 के कायममुकाम बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया, जबकि इसके लिए 90 दिवस की समय सीमा निर्धारित है। वकील अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12/5/25 को पेश किये गये जवाब में अंकित किया गया कि अप्रार्थी सं. 8 का देहान्त दिनांक 11/9/11 को तथा अप्रार्थी सं. 11 का देहान्त दिनांक 15/3/12 को हो चुका है जो नगर निगम कोटा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्रों से प्रमाणित है। प्रार्थी बहादुरमल अप्रार्थी सं. 8 व 11 का सगा देवर है तथा उनके अंतिम संस्कार क्रियाकर्मों में सम्मिलित रहा है, ऐसे में प्रार्थी को उनकी मृत्यु की जानकारी प्रारम्भ से रही है। SDO लाखेरी के यहां विचाराधीन हस्तगत वाद में प्रार्थी द्वारा दिनांक 18/1/23 को प्रतिवादीगण की मृत्यु का प्रार्थनापत्र पेश किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा जानकारी के बावजूद मृतक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही पेश कीगई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जा...
	विगत पेशियों पर आदेशित किये जाने के उपरान्त वकील प्रार्थी द्वारा आज भी न तो मृतक अप्रार्थी सं. 8 व 11 के कायम मुकाम बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया और न ही अप्रार्थी सं. 5/1 से 5/5 की तामील हेतु नोटिस तलबाना पेश किया। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गत पेशी पर अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद प्रार्थी द्वारा आदेशों की पालना नहीं की गई है, ऐसे में प्रथमिफा प्रार्थी अदम तकमील में खारिज किया जाता है। SDO लाखेरी की मूल पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 14/10/25 को पेश किये जाने हेतु वापस लौटाई जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावें। जिला कलेक्टर, बून्दी	